

कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वितीय उ० प्र० इलाहाबाद ।

सं० जी०ई०-१/गुप -४/ अदेयता प्रमाण पत्र

दिनांक

सेवा में,

1. सचिव नियुक्ति अनुभाग-६ एनैकसी भवन  
उ० प्र० शासन लखनउ
2. सचिव गृह पुलिस सेवायें अनुभाग-२ एनैकसी भवन  
उ० प्र० शासन लखनउ
3. सचिव वित्त सेवायें अनुभाग-२  
उ० प्र० शासन लखनउ
4. निबन्धक उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद

Request-121

विषय : श्री कालीचरन २, सी०जे०एम० को स्वीकृत मोटरकार अग्रिम रू० ८००००.० की अदायगी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि शासनादेश संख्या बी-३-२४४४(३)दस ९८-७० (एम)९८ उच्च न्यायालय के आदेश संख्या २५६१/एडमिन/ए/डी/१५/९/९८ दिनांक २६-May-९८ के अन्तर्गत स्वीकृत मोटरकार अग्रिम रू० ८००००.० के मूलधन की अदायगी मय ब्याज के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है ।

२. उक्त अग्रिम के विरुद्ध कुछ शेष नहीं है ।

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी

सं० जी०ई०-१/गुप -४/उ० प्र० प०/२९२

दिनांक: १०-७-०६

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनउ ।

श्री कालीचरन २, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच, ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी